मैनुअलसंख्या –01: संगठन की विशिष्टियॉ, कृत्य एवं कर्तव्य

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (ख) के अन्तर्गत)

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (**Rastriya Uchachatar Shiksha Abhiyan**)

राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा के गुणवत्ता संर्वद्धन, विस्तार, तथा सुधारों को दृष्टिगत रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2013 से अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) प्रारम्भ किया गया है। इस केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना में उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, जम्मु कश्मीर, सिक्किम तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए केन्द्रांश व राज्यांश का अनुपात 90:10 निर्धारित किया गया है। प्रदेश में इस अभियान को लागू करने के लिए मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का गठन किया गया है।

'रुसा' परियोजना के उद्देश्य

(i) उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर में वृद्धि करना।

(ii) राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों में मानकों व नियमों के अनुरुप गुणवत्ता में सुधार करना।

(iii) अकादमिक मूल्यांकन व प्रत्यायन को शिक्षण संस्थानों में आवश्यक रुप से अंगीकृत करना।

(iv) राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा के नियोजन व अनुश्रवण कार्य के लिए संस्थागत ढांचा निर्मित कर राज्य उच्च शिक्षा प्रणाली में अपेक्षित सुधार करना।

(v) उच्च शिक्षा में प्रशासनिक, अकादमिक एवं परीक्षा सुधार तथा विद्यालयी शिक्षा व उच्च शिक्षा के मध्य समन्वय स्थापित करना।

(vi) विद्यमान संस्थानों में अतिरिक्त क्षमता का विकास तथा व सुविधा–विहीन या अल्पसुविधा युक्त क्षेत्रों में नवीन संस्थानों की स्थापना कर राज्य में उच्च शिक्षा के संस्थागत आधार का विस्तार करना।

(vii) सम्बद्धता प्रणाली में सुधार लागू करने हेतु अवसरों का सृजन करना।

(viii) उच्च शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षको की उपलब्धता तथा प्रत्येक स्तर पर क्षमता–विकास सुनिश्चित करना।

(ix) शोध व नवाचार हेतु संस्थानों में उचित वातावरण का सृजन करना।

(x) सरकार के कौशल विकास अभियान के प्रयास को एकीकृत करना।

(xi) उच्च शिक्षा की सुलभता के लिए क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करना।

(xii) सामाजिक रुप से वंचितो समूहों, अनुसूचित जाति/जनजाति , अल्पसंख्यकों,महिलाओं, द्विव्यागों को उच्च शिक्षा में समुचित अवसर प्रदान कर साम्य में सुधार करना।

(xiii) उच्च शिक्षा में संरचनात्मक कमियों को अभिज्ञापित कर उसको दूर करने में राज्य सरकार के प्रयासों को सहयोग प्रदान करना।

(xiv) उच्च शिक्षा में गुणवत्ता, शोध व नवाचार के क्षेत्रों में राज्यों एवं संस्थानों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।

(xv) उच्च शिक्षण संस्थानों एवं राज्य सरकार की भूमिका को स्पष्टतया परिभाषित करना तथा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना हेतु मार्गदर्शन करना।

<u>रुसा परियोजना की प्रमुख विशेषताऐं</u>

1. 'रुसा' मिशन मोड में संचालित एक ऐसी योजना है जिसमें वित्तीय सहायता मानक आधारित होगी व सहायता अनुदान, निष्पादन एवं परिणाम आधारित होगा।

2. अनुदान प्राप्ति हेतु राज्य सरकार को पूर्व निर्धारित अकादमिक, प्रशासनिक व सुशासकीय सुधारों को लागू करने की वचनबद्धता देनी होगी।

3. मानव संसाधन विकास मंत्रालय से विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को अनुदान, राज्य सरकार/राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

4. प्रत्येक राज्य को अनुदान, राज्य स्तरीय योजना के आलोचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर दिया जायेगा। यह योजना राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता, सुलभता एवं समता हेतु रणनीति को प्रदर्शित करेगी।

5. प्रत्येक संस्थान को 'रुसा' योजना के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न घटकों हेतु एक संस्थागत विकास योजना (Institutional Development Plan) तैयार करनी होगी। तत्पश्चात् इसे राज्य स्तर पर संकलित कर राज्य स्तरीय योजना तैयार की जायेगी।

6. राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा अन्य कार्यो के साथ ही राज्य में नियोजन व अनुश्रवण का कार्य भी निष्पादित किया जायेगा।

7. राज्य के बजट से संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का कार्य, राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा किया जायेगा। परिषद् द्वारा राज्य सरकार को उच्च शिक्षा के संतुलित विकास हेतु संस्तुतियॉ भी उपलब्ध कराई जायेंगी।

8. योजना में केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात उत्तर पूर्वी राज्यों, सिक्किम, जम्मु कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखण्ड राज्यों हेतु 90:10 होगा तथा अन्य राज्यों व केन्द्रशासित प्रदेशों हेतु यह अनुपात 65:35 होगा।

9. राज्य परियोजना में राज्यांश हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता (दान व जनहित हेतु अनुदान सहित) के लिए (राज्यांश के 50 प्रतिशत से अनाधिक)राज्य स्वतन्त्र होगें।

10. राज्य, अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से 'रुसा' के लिए अतिरिक्त संसाधनों के संग्रहण हेतु स्वतन्त्र होंगे।

12. राज्यवार अनुदान का वितरण, कोष–समता के सूत्र के आधार पर निर्धारित होगा जिसका निर्धारण सुसंगत आयु वर्ग की जनसंख्या आकार, सकल नामांकन अनुपात, लिंग समता सूचकांक, समस्त श्रेणियों में समता सूचकांक, उच्च शिक्षा पर राज्य का व्यय, संस्थान संघनता, शिक्षक–छात्र अनुपात, राज्य में उच्च शिक्षा की उपलब्धता, समता, गुणवत्ता व उत्कृष्टता की स्थिति आदि घटकों के आधार पर आगणित किया जायेगा।

<u>योजना का लक्षित समूह (**Target Group of Scheme**)</u>

1. राजकीय विश्वविद्यालय व महाविद्यालय ।

2. सहायता प्राप्त महाविद्यालय भी, कुछ घटकों हेतु निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत परियोजना अनुमोदन बोर्ड की संस्तुति के अनुसार सहायता हेतु पात्र होगें।

<u>'रुसा' योजना के घटक (**Components of RUSA Programme**)</u>

'रुसा' योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित घटकों के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है :–

1. विद्यमान स्वायत्त महाविद्यालयों को उच्चीकृत कर विश्वविद्यालय के रुप मे स्थापित करना।
2. निकटस्थित महाविद्यालयों के समूहों को विश्वविद्यालय के रुप में परिवर्तित करना।
3. विश्वविद्यालयों को संरचनात्मक अनुदान।
4. नये मॉडल महाविद्यालय स्थापित करना।
5. विद्यमान महाविद्यालयों को मॉडल महाविद्यालय के रुप में उच्चीकृत करना।
6. नये व्यवसायिक महाविद्यालय स्थापित करना।
7 महाविद्यालयों को संरचनात्मक अनुदान।
8. शोध, नवाचार व गुणवत्ता सुधार।
9. समता हेतु पहल।
10. फैकल्टी भर्ती हेतु सहायता।

11. फैकल्टी सुधार।
12. उच्च शिक्षा का व्यवसायीकरण।
13. शैक्षिक प्रशासकों की नेतृत्व क्षमता विकास।
14. संस्थागत पुर्नसंरचना व सुधार।
15. क्षमताविकास, समंक संग्रहण एवं नियोजन।
16. प्रबन्ध सूचना प्रणाली।
17. पॉलिटेक्निक संस्थाओं को सहायता।
18. प्रबन्ध, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन और शोध।

'रुसा' परियोजना का संस्थागत ढांचा (**Institutional Structure of RUSA Programme**)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार 'रुसा' का संस्थागत ढांचा निम्नवत् निर्धारित किया गया है –

(अ) राष्ट्रीय स्तर पर

1. 'रुसा' अभियान प्राधिकरण (**RUSA Mission Authority**)

- केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री – सभापति
- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय – उपसभापति
- अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – सह–उपसभापति
- नीति आयोग का सदस्य (उच्च शिक्षा का प्रभारी) – सदस्य
- अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् – सदस्य
- समस्त राज्यों के राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के सभापति – सदस्य
- उच्च शिक्षा क्षेत्र के तीन विशेषज्ञ – सदस्य
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार – सदस्य
- अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा परिषद् – सदस्य
- अध्यक्ष, भारतीय विधि परिषद् – सदस्य
- सचिव, कृषि – सदस्य
- सचिव, संस्कृति – सदस्य
- सचिव, स्वास्थ्य – सदस्य
- सचिव, विज्ञान व प्रौद्योगिकी – सदस्य
- सचिव–खेल – सदस्य
- वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधि – सदस्य
- संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा – सदस्य सचिव

2. परियोजना अनुमोदन मण्डल (**Project Approval Board**)

परियोजना अनुमोदन बोर्ड का गठन निम्नवत् होगा

• सचिव (उच्च शिक्षा)	–	अध्यक्ष
• अध्यक्ष, यू0जी0सी0	–	सह–अध्यक्ष
• उपाध्यक्ष, यू0जी0सी0	–	सदस्य
• अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्	–	सदस्य
• सचिव, यू0जी0सी0	–	सदस्य
• सम्बन्धित राज्य के उच्च शिक्षा परिषद् का सभापति	–	सदस्य
• उच्च शिक्षा क्षेत्र से दो विषय विशेषज्ञ	–	सदस्य
• मानव संसाधन विकास मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार	–	सदस्य
• सलाहकार (उच्च शिक्षा) नीति आयोग	–	सदस्य
• संयुक्त सचिव (उच्च शिक्षा)	–	संयोजक

3. विशिष्ट उद्देश्ययान व तकनीकी समर्थन समूह (**Special Purpose Vehicle (SPV)& Technical Support Group (TSG)**)

'रुसा' परियोजना में राज्य की उच्च शिक्षा योजना के मूल्यांकन, लागत आगणन, निर्गत अनुदान के अनुश्रवण व सम्पूर्ण परियोजना को सक्षम प्रबन्धकीय सहयोग हेतु विशिष्ट उद्देश्य यान (SPV) का गठन किया जायेगा जो कि श्रेष्ठ उपलब्ध शिक्षाविदों, पेशवेरों, क्षेत्र विशेषज्ञों के तकनीकी सहयोग समूह का गठन करेगा। एस0पी0वी0, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) के अन्तर्गत निधियों, अन्य संस्थाओं से दान, अनुदान द्वारा रुसा हेतु फण्ड व्यवस्था करने हेतु कार्य करेगा। एस0पी0वी0 प्रबन्धन, सूचना प्रणाली हेतु एजेन्सी निर्धारित करेगा तथा एम0आई0एस0 व मूल्यांकन व तकनीकी अध्ययनों/स्थलीय अनुश्रवण द्वारा 'रुसा' मिशन प्राधिकरण, परियोजन अनुमोदन मण्डल व राष्ट्रीय परियोजना निदेशालय को कुशल, विश्वसनीय व पेशेवर तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा तथा तकनीकी सहयोग समूह में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करेगा और वित्त अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन करेगा। एस0पी0वी0 के संचालन मण्डल का गठन निम्नवत होगा

1.	ख्याति प्राप्त शिक्षाविद – मा0सं0वि0 मंत्रालय द्वारा नामित	–	अध्यक्ष
2.	सचिव, उच्च शिक्षा	–	सदस्य
3.	अध्यक्ष, यू0जी0सी0	–	सदस्य
4.	अध्यक्ष, ए0आई0सी0टी0ई0	–	सदस्य
5.	राष्ट्रीय मिशन निदेशक	–	प्रबन्ध निदेशक
6.	वित्त सलाहकार, उच्च शिक्षा विभाग	–	सदस्य

7. तकनीकी सहयोग समूह (TSG) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी – सदस्य
8. उच्च शिक्षा का विशेषज्ञ – सदस्य
9. उच्च शिक्षा का विशेषज्ञ – सदस्य

तकनीकी सहयोग समूह :

विशिष्ट उद्देश्ययान के निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तकनीकी सहयोग समूह सचिवालय का प्रमुख होगा। वह एस0पी0वी0 प्रबन्ध मण्डल के अनुमोदन से वित्त अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति करेंगे तथा किसी विशेष उद्देश्य हेतु निर्धारित अवधि के लिए यथावश्यक सलाहकारों की नियुक्ति कर सकेगा।

तकनीकी सहयोग समूह के निम्नलिखित कृत्य होंगे

- निधियों के प्रवाह व सूचनाओं का अनुश्रवण करना।
- राज्यों के उच्च शिक्षा प्लान का मूल्यांकन करना व राज्य उच्च शिक्षा परिषदों से सहयोग लेना।
- एम0आई0एस0 नियोजन, समन्वयन व प्रबन्धन हेतु एम0आई0एस0 सेवा प्रदाता से सम्पर्क करना।
- आवश्यकतानुरुप एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार करना।
- मूल्यांकन अध्ययन करना।
- 'रुसा' मिशन प्राधिकरण, परियोजना अनुमोदन मण्डल व राष्ट्रीय परियोजना निदेशालय को समस्त कार्यात्मक, तकनीकी व प्रबन्धकीय सहयोग प्रदान करना।
- यथोचित शर्तो पर योजनाओं के अनुश्रवण, संरचना, तकनीकी पहलुओं व अन्य उद्देश्यों हेतु सलाहकारों की नियुक्ति करना।

4. राष्ट्रीय परियोजना निदेशालय (NPD)

यह उच्च शिक्षा विभाग में स्थापित किया जायेगा। जिसका ढांचा निम्नवत होगा :–

संयुक्त सचिव (उच्च शिक्षा) – राष्ट्रीय मिशन निदेशक

01 उपसचिव/निदेशक समकक्ष अधिकारी

02 उपसचिव स्तर के अधिकारी

समुचित सहयोगी स्टाफ

राष्ट्रीय परियोजना निदेशालय के निम्नलिखित कृत्य होंगे :–

- 'रुसा' मिशन प्राधिकरण व परियोजना अनुमोदन मण्डल की बैठकें आयोजित करना।
- समग्र प्रोजेक्ट निधि प्रबन्धन।
- केन्द्र व राज्य स्तर पर योजना कार्यान्वयन का अधीक्षण करना।

- मिशन प्राधिकरण हेतु नीतिगत आदाय प्रदान देना
- सांख्यिकीय आकंड़े व एम0आई0एस0 का अनुरक्षण करना।
- आवश्यकतानुसार प्रोजेक्ट अंकेक्षकों को नियुक्त करना।

(ब) राज्य स्तरीय परियोजना कार्यान्वयन व्यवस्था

प्रत्येक राज्य में परियोजना की निगरानी, राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा की जायेगी। परिषद् को इस हेतु राज्य परियोजना निदेशालय व तकनीकी समर्थन समूह (Technical Support Group) द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा। ये संस्थाऐं परिषद् के प्रति उत्तरदायी होंगी व परियोजना के राज्य स्तर पर प्रबन्धन, समन्वय, क्रियान्वयन व निगरानी हेतु सीधे उत्तरदायी होंगी।

1. राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (**State Higher Education Council**)

राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा के नियोजन व वित्त पूर्ति ढांचे की प्रमुख निकाय होगी। वह राज्य में उच्च शिक्षा क्षेत्र में स्थापित विभिन्न विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को केन्द्र व राज्य कोष से वित्त आपूर्ति हेतु समन्वय तथा राज्य स्तर पर उच्च शिक्षा नियोजन, निगरानी, गुणवत्ता नियन्त्रण एंव समन्वय हेतु सर्वोच्च संस्था होगी।

गठन– राज्य उच्च शिक्षा परिषद् में सामान्यत 15 से 25 तक सदस्य होंगे। इसका गठन निम्नवत होगा :–

- सभापति– प्राथमिकता से एक ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद/लोक बुद्धिजीवी
- उपसभापति– सभापति गैर अकादमिक होने की दशा में अनिवार्यतः एक लब्ध प्रतिष्ठित शैक्षिक प्रशासक अन्यथा की दशा में वह उद्योग जगत से कोई पेशेवर व्यक्ति हो सकता है।
- सदस्य सचिव– प्रोफेसर स्तर के समकक्ष एक ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद–मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
- राज्य परियोजना निदेशक
- 10 से 15 सदस्य–कला, विज्ञान व तकनीकी, संस्कृति, लोक समाज, उद्योग जगत, कौशल शिक्षा व कौशल विकास क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व करते हुए।
- राज्य विश्वविद्यालयों से तीन कुलपति व स्वायत्त/सम्बद्ध महाविद्यालय के दो प्राचार्य।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक नामित व्यक्ति।

2. राज्य परियोजना निदेशालय (**State Project Directorate**)

राज्य परियोजना निदेशालय में राज्य परियोजना निदेशक व आवश्यकतानुसार समुचित कार्यालय स्टाफ होगा। राज्य परियोजना निदेशक, राज्य सरकार के कमिश्नर/सचिव से अनिम्न स्तर का अधिकारी होगा।

3. तकनीकी समर्थन समूह (**Technical Support Group**) तकनीकी समर्थन समूह की संरचना व गठन राज्य सरकार के निर्णयानुसार होगी।

(स) संस्था स्तरीय परियोजना कार्यान्वयन ढांचा

संस्था स्तर पर रुसा परियोजना का प्रबन्ध संचालक मण्डल व परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा किया जायेगा।

संचालक मण्डल : प्रत्येक संस्थान द्वारा निर्धारित रीति से एक संचालन मण्डल गठित किया जायेगा। संचालक मण्डल, संस्थागत स्तर पर परियोजना सम्बन्धी नीतिगत निर्णय लेने, अनुश्रवण करने, विभिन्न उपसमीतियों का गठन करने, फैकल्टी विकास सुनिश्चित करने, सभी प्रकार के शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक सुधारों को लागू करने के साथ–साथ परियोजना निधि का समुचित उपयोग व वित्तीय प्रबन्धन, रिपोर्ट व उपभोग प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण व परियोजना के कार्यान्वयन में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने का कार्य सम्पादित करेगा।

परियोजना अनुश्रवण इकाई –प्रत्येक संस्थान द्वारा शैक्षिक अधिकारियों, शिक्षकों, प्रशासनिक अधिकारियों, तकनीकी व गैर तकनीकी स्टाफ व छात्र प्रतिनिधियों से युक्त एक परियोजना अनुश्रवण इकाई का गठन किया जायेगा। संस्था के अध्यक्ष, इकाई के प्रमुख होंगे। इकाई, संस्थागत स्तर पर परियोजना के अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होगी। परियोजना अनुश्रवण इकाई द्वारा सामग्री, कार्य व सेवाओं की अधिप्राप्ति, वित्तीय प्रबन्ध, फैकल्टी व स्टाफ विकास, अनुश्रवण तथा सभी संकेतकों हेतु लक्ष्यों की प्राप्ति व प्रबन्धन सूचना प्रणाली को अद्यतन करने का कार्य किया जायेगा।

उत्तराखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद्

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों व यू0जी0सी0 व 'रुसा' की संस्तुतियों के अनुक्रम में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 768/xxiv(7)/29(1)/2013 दिनांक 28 फरवरी 2014 द्वारा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का गठन निम्नवत् किया गया है :–

1	डॉ0 इन्दिरा हृदयेश	माननीय उच्च शिक्षा मंत्री	सभापति (पदेन)
2	श्री शत्रुघन सिंह	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	उपसभापति (पदेन)
3	श्री एस0 रामास्वामी	अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा एवं परियोजना निदेशक, रुसा, उत्तराखण्ड	सदस्य (पदेन)
4	प्रो0 गिरिजेश पंत	प्रोफेसर स्कूल ऑफ इण्टरनेशनल स्टड़ीज, जे0एन0यू0 नई दिल्ली	सदस्य (नामित)

5	डॉ0 हरीश चन्द्र पोखरियाल	कार्यकारी निदेशक, मुक्त अध्ययन स्कूल दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य (नामित)
6	प्रो0 सुरेन्द्र पी0 सिंह	चैयर ऑफ एक्सीलैंस इन बायोडायवर्सिटी, एफ0आर0आई0 देहरादून	सदस्य (नामित)
7	प्रो0 एम0एस0एम0 रावत	डीन स्कूल ऑफ साइंस (सेवानिवृत्त) हे0न0ब0गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर	सदस्य (नामित)
8	डॉ0 एस0एन0एच0 रिजवी	मानव विज्ञानी, अध्यक्ष भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण नई दिल्ली	सदस्य (नामित)
9	डॉ0 जी0पी0 जुयाल	विभागाध्यक्ष, हाइड्रोलॉजी व इंजीनियरिंग मण्डल सी0एस0 डब्यु0सी0आर0वि0आई0 देहरादून	सदस्य (नामित)
10	प्रो0 उमा तिवारी पालनी	पूर्व अध्यक्ष–वनस्पति विज्ञान विभाग कुमाऊॅ विश्वविद्यालय नैनीताल	सदस्य (नामित)
11	डॉ0 बी0के0 गैरोला	सदस्य सचिव–राष्ट्रीय नवप्रवर्तन परिषद् योजना आयोग, नई दिल्ली	सदस्य (नामित)
12	प्रो0 शिवराज सिंह	कृषि अभियांत्रिकी विभाग , बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी	सदस्य (नामित)
13	डॉ0 विनय पाठक	कुलपति, ए0पी0जे0 अब्दुन कलाम उ0प्र0 तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ	सदस्य (नामित)
14	सुश्री विभा मल्होत्रा	निदेशक, कन्फ्रेडरेशन ऑफ इण्डस्ट्री उत्तराखण्ड स्टेट, देहरादून	सदस्य (नामित)
15	भारत सरकार प्रतिनिधि	मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामित किया जायेगा	सदस्य (पदेन)
16	प्रो0 वी0के0 जैन	कुलपति, दून विश्वविद्यालय देहरादून	सदस्य (नामित)
17	प्रो0 एच0एस0 धामी	कुलपति, कुमाऊॅ विश्वविद्यालय देहरादून	सदस्य (नामित)
18	डॉ0 बी0सी0 मेलकानी	निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड हल्द्वानी	सदस्य–सचिव (पदेन)
19	डॉ0 देवेन्द्र भसीन	प्राचार्य, डी0ए0वी0 (पी0जी0) कालेज, देहरादून	सदस्य (नामित)
20	डॉ0 प्रमोद कुमार पाठक	प्राचार्य, रा0 महावि0 बेतालघाट, नैनीताल	सदस्य (नामित)
21	प्रो0 प्रदीप्त बैनर्जी	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	सदस्य (नामित)
22	प्रो0 मंगला राय	कुलपति, जी0बी0 पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	सदस्य (नामित)
23	प्रो0 गौतम सिन्हा	निदेशक, भारतीय प्रबन्ध संस्थान काशीपुर (उधमसिंह नगर)	सदस्य (नामित)
24	प्रो0 दुर्गेश पंत	परिसर निदेशक, उत्तराखण्ड मुक्त वि0वि0, देहरादून।	सदस्य (नामित)

कार्यकारी समिति(**Executory Committee**)

परिषद् के कार्यो का प्रबन्धन,विहित नियामनुसार गठित एक कार्यकारी समिति द्वारा परिषद् के नियम, विनियम व आदेश के अधीन किया जायेगा जिसका गठन शासनादेश संख्या 2689(1)/XXIV(7)/2014-38(2)13/T.C.III दिनांक 25 सितम्बर, 2014 के अनुरूप निम्नानुसार किया गया है :–

1	श्री शत्रुघन सिंह (IAS)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष (पदेन)
2	श्री एस0 रामास्वामी (IAS)	अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा	सदस्य (पदेन)
3	श्री ओम प्रकाश (IAS)	प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा	सदस्य (पदेन)
4	श्री अमित नेगी (IAS)	सचिव, वित्त	सदस्य (पदेन)
5	प्रो0 वी0के0 जैन	कुलपति, दून विश्वविद्यालय	सदस्य (नामित)
6	प्रो0 मंगला राय	कुलपति, गो0ब0प0कृ0प्रौ0 विश्वविद्यालय, पंतनगर	सदस्य (नामित)
7	श्री श्रीधर बाबू अद्दांकी (IAS)	अपर सचिव, उच्च शिक्षा	सदस्य सचिव (पदेन)
8	डा0 बी0सी0 मेलकानी	निदेशक उच्च शिक्षा	सदस्य (पदेन)

रुसा परियोजना निदेशालय

'रुसा' परियोजना का एक राज्य परियोजना निदेशालय, देहरादून में अवस्थित है। शासनादेश सं0 3467/xxiv(7)/2015–29(1)/13 दिनांक 20 मार्च 2015 द्वारा परियोजना निदेशालय हेतु 16 पदों का संगठनात्मक ढांचा स्वीकृत हुआ है।

तकनीकी समर्थन समूह : उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या 360/XXIV(7)/15-38(2)13 देहरादून दिनांक 04 जून, 2015 द्वारा तकनीकी समर्थन समूह का भी निम्नवत् गठन किया गया है।

1. निदेशक उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी – अध्यक्ष
2. नोडल अधिकारी रूसा, दून विश्वविद्यालय, देहरादून – सदस्य
3. नोडल अधिकारी रूसा, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल – सदस्य
4. राज्य नोडल अधिकारी, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण – सदस्य
5. अधीक्षण अभियन्ता(सिविल) 9वाँ वृत्त लोक निर्माण विभाग, देहरादून – सदस्य
6. अनु सचिव, वित अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन – सदस्य
7. वरिष्ठतम प्राचार्य रा0स्ना0 महाविद्यालय, उत्तराखण्ड – सदस्य
8. वित्त नियन्त्रक, रूसा परियोजना निदेशालय, देहरादून – सदस्य
9. परियोजना निदेशक रूसा परियोजना द्वारा नामित अधिकारी – सदस्य
10. संयुक्त निदेशक/राज्य नोडल अधिकारी, रूसा परियोजना निदेशालय, देहरादून – सदस्य–सचिव

मैनुअल संख्या –02 :अधिकारियों व कर्मचारियों की शक्तियां व कर्तव्य

(1) परियोजना निदेशक के कृत्य एवं शक्तियां

परियोजना निदेशक, उच्च शिक्षा परिषद का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होगा और परिषद के कार्यों एवं निधियों के उचित प्रबन्धन हेतु उत्तरदायी होगा तथा परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों को कार्यकारी समिति अध्यक्ष के निर्देशन एवं मार्गदर्शन के अधीन अभियान मोड में कार्यान्वयन हेतु दायी होगा। अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु उसकी शक्तियां निम्नवत् होंगी :–

(क) परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यदल या समिति का गठन करना।

(ख) परियोजना निदेशालय के अधिकारियों एवं कार्मिकों के कार्यों का निर्धारण करना।

(ग) यथावश्यक पर्यवेक्षण एवं अनुशासनिक नियन्त्रण प्रयोग करना।

(घ) परियोजना निदेशालय के क्रिया–कलापों का सामान्य पर्यवेक्षण एवं समन्वय करना।

(ङ) परिषद/कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव को परिषद व कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित करने एवं इन बैठकों की कार्यवाही का लेखा तैयार करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना।

(च) परिषद के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु परिषद/कार्यकारिणी समिति द्वारा उसे निर्दिष्ट कृत्यों का निर्वाह करना।

(2) अपर परियोजना निदेशक के कृत्य एवं शक्तियां

परियोजना निदेशक की ओर से अपर परियोजना निदेशक, परियोजना के क्रिया–कलापों के दक्ष एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एवं भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निधियों के समुचित उपयोग हेतु उत्तरदायी होगा। अपर परियोजना निदेशक के निम्नलिखित कृत्य/शक्तियां होंगी :–

(क) अपर परियोजना निदेशक, परियोजना की विभिन्न क्रिया–कलापों का अभियान (मिशन) मोड में परियोजना निदेशक के दिशा निर्देशन में, कार्यान्वित करेगा ।

(ख) परियोजना कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के अनुश्रवण हेतु नियमित बैठकें आयोजित करना।

(ग) भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार व अन्य राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय नियामक संस्थाओं से उच्च शिक्षा के मामलों में समन्वय स्थापित करना।

(घ) अपर परियोजना निदेशक, वार्षिक कार्य योजना एवं बजट निर्माण एवं उसे अंतिम रूप देने हेतु उत्तरदायी होगा।

(ङ) परियोजना निदेशालय पर प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षीय नियन्त्रण शक्ति का प्रयोग करना।

(च) परिषद के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जो उसे परिषद/कार्यकारी समिति द्वारा निर्दिष्ट किये जायें।

(3) <u>नोडल अधिकारी (परियोजना राज्य समन्वयक) के कृत्य एवं दायित्व</u>

परिषद के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राज्य परियोजना निदेशक/अपर परियोजना निदेशक के दिशा–निर्देशन में उन सभी कार्यो/दायित्वों का निर्वाह करना जो उसे निर्दिष्ट किये जायॅ।

(4) <u>प्रशासनिक पटल के कार्य एवं दायित्व</u>

प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अनुभाग का प्रभारी होगा एवं परियोजना के कुशल प्रशासन हेतु समस्त कार्यालयीन कार्य दायित्वों हेतु उत्तदायी होगा एवं परियोजना निदेशक एवं परियोजना कार्यालय के अन्य अधिकारियों के दिशा–निर्देशन में निर्दिष्ट कार्यों का सम्पादन करेगा।

(5) <u>वित्तीय पटल से सम्बन्धित अधिकारी व उनके कार्य दायित्व</u>

परियोजना कार्यालय का वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक वित्तीय पटल का प्रमुख होगा व परियोजना के वार्षिक बजट निर्माण, वार्षिक योजना बनाने, परियोजना की निधियों के नियमानुसार संरक्षण व उपयोग के साथ–साथ आहरण वितरण अधिकारी के समस्त कार्य दायित्वों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी होगा।

मैनुअल संख्या –03 : विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं :–

(1) परियोजना निदेशालय की निर्णय लेने की प्रक्रिया

'रुसा' परियोजना में 'भिन्न–भिन्न स्तरों पर निर्णय होने की व्यवस्था निम्नवत् है :–

(i) निदेशालय में कार्यरत अराजपत्रित कार्मिकों के सेवा प्रकरणों पर अपर परियोजना निदेशक द्वारा।

(ii) निदेशालय में कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों पर राज्य परियोजना निदेशक द्वारा।

(2) किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया

सामान्य प्रकरणों को छोड़कर अन्य सभी विशेष विषयों पर कार्यकारी समिति व राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा यथाविहित प्रक्रियानुसार निर्णय लिये जाते हैं।

(3) लिये गये निर्णय को जनता तक पहुँचाने की प्रक्रिया

समाचार पत्रों/कार्यालय सूचना पटल पर प्रसारण द्वारा।

(4) विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है

(i) परियोजना से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों पर उनके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, कार्यकारी समिति, परियोजना निदेशक तथा अपर परियोजना निदेशक द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(ii) वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी :–

राष्ट्रीय परियोजना निदेशालय की वित्तीय स्वीकृति व संस्था की डी0पी0आर0 के आधार पर शासन की संस्तुति के अनुसार निर्णय लिया जाता है।

(5) चयन/भर्ती मामलों में

उत्तराखण्ड शासन के संगत शासनादेशों एवं शासन के दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्णय लिये जाते हैं।

(6) विभिन्न सामग्रियों के क्रय से सम्बन्धित मामलों में

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियामावली 2008 के प्रावधानों, सम्बन्धित शासनादेशों तथा शासन के दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्णय लिये जाते हैं।

(7) अंतिम निर्णय के लिए प्राधिकृत अधिकारी

कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर परियोजना निदेशक तथा उपरोक्त से भिन्न मामलों में कार्यकारी समिति व अन्तिम रूप से राज्य उच्च शिक्षा परिषद।

(8) मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण

भारत सरकार द्वारा रूसा परियोजनान्तर्गत, राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को स्वीकृत परियोजनाओं को स्वीकृत अनुदान जारी करना व स्वीकृत योजनाओं का अनुश्रवण करना तथा राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहुँच, समता व गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु व सुधार हेतु वांछित कार्यवाही करना।

(9) विषय (जिसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है) दिशा–निर्देश

भारत सरकार की रूसा परियोजनान्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों, निर्धारित नियमों एवं राज्य सरकार की सुसंगत नियमावलियों, वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं, शासनादेशों तथा विभागीय सेवा नियमावलियों में उल्लखित निर्देशों के अन्तर्गत।

(10) निर्णय लेने की प्रक्रिया

कार्यकारी समिति व राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बैठक के माध्यम से

निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारी का पदनाम –

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन
अपर सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन

निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना –

रूसा परियोजना निदेशालय, उत्तराखण्ड
21/20, ई0सी0 रोड, देहरादून
पिन कोड 248001।

मैनुअल संख्या –04 : 'रूसा' परियोजना निदेशालय के कार्य संचालन/कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में स्वयं द्वारा स्थापित मानक

उत्तराखण्ड में रूसा परियोजना के अन्तर्गत किये जा रहे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

(i) उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा परिषद का गठन किया गया है।

(ii) 'रूसा' परियोजना निदेशालय की स्थापना देहरादून में की गई है।

(iii) 'रूसा' परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य बजट में रु0 107 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(iv) रूसा परियोजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 'रुसा' की तैयारी तथा विभिन्न घटकों के अन्तर्गत क्रमशः रु0 3.63 करोड तथा रु0 13.10 करोड़ का केन्द्रांश अवमुक्त किया गया है ।

(v) भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के समकक्ष घटक संख्या (3), (4), (5), (7) व (11) के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को क्रमशः रु0 3.73 करोड़, रु0 1.18 करोड़, रु0 1.85 करोड़, रु0 7.41 करोड़ व रु0 0.28 करोड़ सहित कुल 14.45 करोड़ रु0 का अनुदान अवमुक्त किया गया है।

(vi) उत्तराखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की दिनांक 28 मई, 2014 तथा दिनांक 23 दिसम्बर, 2015 को बैठकें आयोजित की गई।

(vii) 'रुसा' की कार्यकारिणी समिति की दिनांक 04 मार्च, 2014 तथा दिनांक 19 दिसम्बर, 2015 को बैठकें आयोजित की गई।

(viii) भारत सरकार द्वारा 'रुसा' के अन्तर्गत निम्नलिखित शिक्षण संस्थाओं को आच्छादित किया गया है :–

क्रम सं0	महाविद्यालय/विश्वविद्यालय
(अ)	महाविद्यालयों को संरचनात्मक अनुदान
	नैनीताल
1	रा0 महावि0, दोषापानी, चौखुटा
2	रा0 महावि0, कोटाबाग
	बागेश्वर
3	रा0 महावि0, कपकोट
4	रा0 महावि0, काण्डा
5	रा0 महावि0, गरुड़
	अल्मोड़ा
6	रा0 महावि0, चौखुटिया
7	रा0 महावि0, सोमेश्वर

8	रा0 महावि0, गरुड़ाबांज
9	रा0 महावि0, भिक्यासैंण
	पिथौरागढ़
10	रा0 महावि0, बलूवाकोट, धारचूला
11	रा0 महावि0, गंगोलीहाट
12	रा0 महावि0, मुन्स्यारी
	चम्पावत
13	रा0 महावि0, टनकपुर
	उधमसिंह नगर
14	रा0 महावि0, बाजपुर
	पौड़ी
15	रा0 महावि0, नैनीडांडा
16	रा0 महावि0, सतपुली
17	रा0 महावि0, रिखणीखाल
18	रा0 महावि0, थलीसैंण
19	रा0 महावि0, मजरा महादेव
	चमोली
20	रा0 विधि0 महावि0, गोपेश्वर
21	रा0 महावि0, नागनाथ पोखरी
	रुद्रप्रयाग
22	रा0 महावि0 रुद्रप्रयाग
23	रा0 महावि0 गुप्तकाशी
	उत्तरकाशी
24	रा0 महावि0, पुरौला
25	रा0 महावि0, चिन्यालीसौंड़
	नई टिहरी
26	रा0 महावि0, नरेन्द्रनगर
27	रा0 महावि0, थत्यूड
28	रा0 महावि0, नैनबाग
	देहरादून
29	रा0 महावि0, चकराता
30	रा0 महावि0, त्यूनी
(ब)	माडॅल कालेज की स्थापना
31	रा0 महावि0 देवीधुरा (चम्पावत)
(स)	माडॅल कालेज के रुप में उच्चीकरण
32	रा0 महावि0, नारायणनगर
33	रा0 स्नात0 महावि0, उत्तरकाशी
34	रा0 स्नातक0 महावि0 गोपेश्वर
35	रा0 महावि0, मानिला
36	रा0 स्नात0 महाविद्यालय, रामनगर
(द)	विश्वविद्यालय को संरचनात्मक अनुदान
37	दून विश्वविद्यालय, देहरादून

38	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
39	कुमाऊॅ विश्वविद्यालय, नैनीताल
(य)	फैकल्टी सुधार
40	यू0जी0सी0, मानव संसाधन विकास केन्द्र, कुमाऊॅ विश्वविद्यालय, नैनीताल

मैनुअल संख्या–05 : निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये जाने वाले नियमों, विनियमों, अनुदेशों, अभिलेखों का विवरण

1. उत्तराखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की नियमावली
2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008
3. वित्तीय हस्तपुस्तिका।
4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'रुसा' के दिशा–निर्देश।
5. बजट मैनुअल
6. अन्य सम्बन्धित शासनादेश अधिनियम व नियमावलियॉ

मैनुअल संख्या–06 : दस्तावेज जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, का प्रवर्गो के अनुसार वर्गीकरण

1. उपस्थिति पंजिका।
2. डाकप्राप्ति रजिस्टर।
3. आकस्मिक अवकाश पंजिका।
4. डाक प्रेषण रजिस्टर।
5. रुसा परियोजना से आच्छादित संस्थानों की डी0पी0आर0 व पत्रावलियॉ।
6. वेतन पंजिका।
7. स्टॉक पंजिका।
8. कैश बुक ।

मैनुअल संख्या–7 : नीति निर्धारण व क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था विवरण

लागू नहीं है।

मैनुअल संख्या–8 : बोर्ड/परिषदों/समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

विभिन्न विषयों पर विचार करने हेतु निम्न समितियों का गठन किया गया है:–

क0सं0	परिषद्/समिति का नाम	सभापति/संयोजक/अध्यक्ष
1	उत्तराखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद्	मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार
2	कार्यकारिणी समिति (राज्य उच्च शिक्षा परिषद्)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
3	तकनीकी समर्थन समूह	निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड

उपर्युक्त के अतिरिक्त 'रुसा' परियोजना से आच्छादित महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में भी संस्थागत स्तर पर परियोजना संचालन मण्डल एवं परियोजना अनुश्रवण इकाई का गठन किया गया ळें

मैनुअल संख्या–9 : अधिकारियों व कर्मचारियो की निर्देशिका

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या
1.	श्री एस0 रामास्वामी(आई0ए0एस0) अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा	परियोजना निदेशक, 'रूसा'	0135–2712040/ 2658902
2.	श्री श्रीधर बाबू अद्दांकी (आई0ए0एस0) अपर सचिव, उच्च शिक्षा	अपर परियोजना निदेशक, 'रूसा'	0135–2651822/ 2658902
3.	डा0 बी0सी0 मेलकानी, निदेशक उच्च शिक्षा	उप परियोजना निदेशक, रूसा परियोजना	05946–240555/ 0135–2658902
4.	डा0 सतपाल सिंह साहनी, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा	नोडल अधिकारी 'रूसा' परियोजना	0135–2658902
5.	श्री सुनील कुमार रतूड़ी, वरिष्ठ वित्त अधिकारी	वरिष्ठ वित्त अधिकारी	0135–2658902
6.	श्री उमेश चन्द्र डिमरी	प्रशासनिक अधिकारी	0135–2658902

मैनुअल संख्या–10 : अधिकारियों व कर्मचारियो द्वारा प्राप्त मासिक वेतन

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	रूसा परियोजना कार्यालय से आहरित सकल वेतन (मासिक)
1.	श्री एस0 रामास्वामी(आई0ए0एस0)	परियोजना निदेशक, रूसा	पदेन रुप से पदस्थ (शून्य)
2.	श्री श्रीधर बाबू अद्दांकी (आई0ए0एस0)	अपर परियोजना निदेशक, 'रूसा'	पदेन रुप से पदस्थ (शून्य)
3	डा0 बी0सी0 मेलकानी	उप परियोजना निदेशक, रूसा परियोजना	पदेन रुप से पदस्थ (शून्य)
4.	डा0 एस0एस0 साहनी	नोडल अधिकारी 'रूसा' परियोजना	सहायक निदेशक (उच्च शिक्षा)के पद पर कार्यरत है (शून्य)
5.	श्री सुनील कुमार रतुड़ी, वरिष्ठ वित्त अधिकारी	वित्त अधिकारी	'रुसा' में अतिरिक्त प्रभार के रुप में कार्यरत हैं। (शून्य)
6.	श्री उमेश चन्द्र डिमरी	प्रशासनिक अधिकारी	रु0 11,100/= (नियत)
7	कु0 स्वाती ढौडियाल	कम्प्यूटर आपरेटर	अतिरिक्त कार्यप्रभार के रुप में कार्यरत हैं। (शून्य)
8.	श्री अरविन्द सिंह नेगी	कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त कार्यप्रभार के रुप में कार्यरत हैं। (शून्य)
9.	श्री प्रमोद पवांर	चतुर्थ श्रेणी कर्मी	अतिरिक्त कार्यप्रभार के रुप में कार्यरत हैं। (शून्य)

मैनुअल संख्या –11 : सभी योजनाओं/प्रस्तावित कार्यों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए प्रत्येक अभिकरण को आबंटित बजट :–

(19 फरवरी 2016)

(धनराशि लाख रुपये में)

क.सं.	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कुल धनराशि	जारी अनुदान
(अ)	घटक संख्या 3 (विश्वविद्यालय को संरचनात्मक अनुदान)			
1	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, हल्द्वानी	1331.00	125.00
2	दून विश्वविद्यालय, देहरादून	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, देहरादून	2000.00	125
3	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, हरिद्वार	1825.00	123.75
(ब)	घटक संख्या 4 (नये माडल कालेज (सामान्य)			
4	रा0 महावि0 देवीधुरा (चम्पावत)	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, हल्द्वानी	1029.00	117.57
(ब)	घटक संख्या 5 (वर्तमान कालेज का मॉडल कालेज के रुप में उच्चीकरण)			
5	रा0 महावि0, नारायणनगर (पिथौरागढ़)	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, पिथौरगढ़	322.00	36.97
6	रा0 स्नात0 महावि0, उत्तरकाशी	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तरकाशी	400.00	36.97
7	रा0 स्नात0 महावि0 गोपेश्वर (चमोली)	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इंजी कालेज, पौड़ी	350.00	36.97
8	रा0 महावि0, मानिला (अल्मोड़ा)	उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0, हल्द्वानी	346.00	36.97
9	रा0 स्नात0 महाविद्यालय, रामनगर (नैनीताल)	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि0	218.00	36.97
(स)	घटक संख्या 7 (महाविद्यालयों को संरचनात्मक अनुदान)			
	नैनीताल			
10	रा0 महावि0, दोषापानी	उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0, हल्द्वानी	199.00	24.68
11	रा0 महावि0, कोटाबाग	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि0	200.00	24.68
	बागेश्वर			
12	रा0 महावि0 गरुड़	उ0प्र0रा0 निर्माण निगम, रुद्रपुर	200.00	24.68
13	रा0 महावि0, कपकोट	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि0	200.00	24.68
14	रा0 महावि0, काण्डा	उ0प्र0 राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0, हल्द्वानी	200.00	24.68

	अल्मोड़ा			
15	रा0 महावि0 चौखुटिया	उ0प्र0रा0निर्माण निगम, अल्मोड़ा	200.00	24.93
16	रा0 महावि0, सोमेश्वर	उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0, परियोजना इकाई, हल्द्वानी	198.00	24.68
17	रा0 महावि0,गरुड़ाबांज	उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, अल्मोड़ा	199.00	24.68
18	रा0 महावि0, भिक्यासैंण	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि0	200.00	24.68
	पिथौरागढ़			
19	रा0 महावि0, गंगोलीहाट	उ0प्र0 राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0, हल्द्वानी (नैनीताल)	199.00	24.68
20	रा0 महावि0, बलूवाकोट, धारचूला	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, पिथौरागढ़ इकाई	199.00	24.68
21	रा0 महावि0, मुन्स्यारी	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि0	199.00	24.68
	चम्पावत			
22	रा0 महावि0 टनकपुर	उ0प्र0रा0 निर्माण निगम, रुद्रपुर	200.00	24.93
	उधमसिंह नगर			
23	रा0 महावि0 बाजपुर	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि0	200.00	24.68
	चमोली			
24	रा0 महावि0, नागनाथ पोखरी	उ0प्र0 राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0, देहरादून	199.00	24.68
25	रा0 विधि0 महावि0, गोपेश्वर	उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, श्रीनगर	200.00	24.68
	उत्तरकाशी			
26	रा0 महावि0, चिन्यालीसौंड़	उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, नई टिहरी	200.00	24.68
27	रा0 महावि0, पुरौला	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि0	199.00	24.68
	नई टिहरी			
28	रा0 महावि0, नरेन्द्रनगर	उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, नई टिहरी	199.00	24.68
29	रा0 महावि0, थत्यूड	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, पौड़ी	199.00	24.68
30	रा0 महावि0 नैनबाग	उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0, देहरादून	199.00	24.93
	देहरादून			
31	रा0 महावि0, चकराता	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण नि0, विकासनगर	200.00	24.68
32	रा0 महावि0, त्यूनी	नवम् वृत्त लोक निर्माण विभाग, चकराता	200.00	25.00
	पौड़ी			
33	रा0 महावि0, रिखणीखाल	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपरेशन लि0	200.00	24.68

34	रा0 महावि0, नैनीडांडा	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, पौड़ी गढवाल	198.00	24.68
35	रा0 महावि0 सतपुली	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, पौड़ी गढवाल	198.00	24.68
36	रा0 महावि0, थलीसैंण	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपरेशन लि0	200.00	24.68
37	रा0 महावि0 मजरा महादेव	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपरेशन लि0	200.00	24.68
	रुद्रप्रयाग			
38	रा0 महावि0, गुप्तकाशी	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, पौड़ी गढवाल	200.00	24.68
39	रा0 महावि0 रुद्रप्रयाग	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपरेशन लि0	200.00	24.68
(द)	घटक संख्या 11 (संकाय सुधार)			
40	यू0जी0सी0 मानव संसाधन विकास केन्द्र (कुमाऊँ विश्वविद्यालय) नैनीताल	–	249.00	28.02

मैनुअल संख्या – 12: सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की स्थिति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं :–

सूचना– शून्य

मैनुअल संख्या – 13: अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति की विशिष्टियां :–

सूचना– शून्य

मैनुअल संख्या – 14: इलैक्ट्रानिक रूप से सूचना के ब्यौरे जो संगठन द्वारा उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हैं :–

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार की बैबसाइट (www. he.uk.gov.inके लिंक रुसा) पर लॉग आन करें।

मैनुअल संख्या – 15: सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां :–

सूचना के अनुरोधकर्त्ताओं की सुविधा के लिए सुविधा कक्ष की स्थापना एवं अनुरोध पत्रों के पंजीकरण एवं समयान्तर्गत निस्तारण की समुचित व्यवस्था 'रूसा' परियोजना निदेशालय में की गई है।

'रूसा' परियोजना निदेशालय के कार्य घण्टे :–

10:00 AM to 5:00 PM

मैनुअल संख्या – 16: लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां :–

1. विभागीय अपीलीय अधिकारी

क्र0सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री श्रीधर बाबू अद्दांकी	अपर परियोजना निदेशक (रुसा)	0135	2651822	–	0135–2658902	**rusa.he.2013@gmail.com**	राज्य परियोजना निदेशालय–रुसा 21/20 ई0सी0 रोड (मंदिर वाली गली) देहरादून।

2. लोक सूचना अधिकारी

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	डॉ0 सतपाल सिंह साहनी	नोडल अधिकारी (रुसा)	0135	2658902	–	0135–2658902	**rusa.he.2013 @gmail.com**	राज्य परियोजना निदेशालय–रुसा 21/20 ई0सी0 रोड (मंदिर वाली गली) देहरादून।

2. सहायक लोक सूचना अधिकारी

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	एस0टी0डी0 कोड	दूरभाष		फैक्स	ई0मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री उमेश चन्द्र डिमरी	प्रशासनिक अधिकारी	0135	2658902	–	0135–2658902	**rusa.he.2013@gmail.com**	राज्य परियोजना निदेशालय–रुसा 21/20 ई0सी0 रोड (मंदिर वाली गली) देहरादून।

मैनुअल संख्या – 17 अन्य उपयोगी जानकारियां :

(1) सूचना का अनुरोध पत्र कैसे प्रेषित करें :

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त किये जाने हेतु अनुरोध पत्र निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। बी0पी0एल0 श्रेणी के आवेदनकर्ता द्वारा कोई आवेदन शुल्क देय नहीं होगा परन्तु इस हेतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को आवेदनकर्त्ता द्वारा स्वयं सत्यापित बी0पी0एल0 कार्ड की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

सूचना के लिए अनुरोध ऐसी सूचना के लिए किया जा सकेगा, जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन 'सूचना' परिभाषित है और लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण में है। सूचना की प्राप्ति हेतु आवेदन हिन्दी भाषा देवनगरी लिपि में या अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) परियोजना निदेशालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया :–

सूचना हेतु अनुरोध पत्रों के लिए परियोजना निदेशालय के कार्यालय में एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें आवेदन पत्र प्राप्ति का दिनांक, आवेदक का नाम/ पता, प्राप्त शुल्क का विवरण, मांगी गई सूचना का सूक्ष्म विवरण, सम्बन्धित पटल को किस दिनांक को भेजा गया, आवेदक को शुल्क आदि के सम्बन्ध में सूचित करने की दिनांक, आवेदन की सूचना उपलब्ध कराने की दिनांक आदि कालम रखे जायेंगे। सूचना का अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों को अनिवार्य रूप से इस रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

यदि आवेदन पत्र में मांगी गई सूचना का सम्बन्ध किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से सम्बन्धित हो या ऐसी सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकारी के पास उपलबध हो तो ऐसी दशा में उस आवेदन पत्र को दूसरे लोक प्राधिकारी, जिससे सम्बन्धित सूचना हो, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार हस्तान्तरण किया जायेगा और इसकी सूचना शीघ्र आवेदनकर्त्ता को भी भेज दी जायेगी।

प्राप्त आवेदन पत्र को रजिस्टर में दर्ज करने के उपरान्त कार्यालय द्वारा उस पर 'सूचना का अधिकार अधिनियम' एवं 'सूचना देने की अंतिम तिथि' अंकित किया जायेगा। जो आवेदन पत्र परियोजना कार्यालय से सम्बन्धित हो उन्हें अविलम्ब एक पंजिका में पृष्ठांकन के साथ सम्बन्धित पटल/अनुभाग को भेजा जायेगा।

प्राप्त आवेदन पत्रों को परीक्षणोपरान्त जो मांगी गयी सूचनायें, 'रुसा' निदेशालय कार्यालय में उपलब्ध हो तो उन्हें नियमानुसार लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर से आवेदक को निर्धारित 30 दिन की समय सीमा से पूर्व उपलब्ध करा दी जायेगी। अभ्यर्थी की उपलब्ध करायी गई सूचना में यह भी उल्लेख होगा कि यदि आप उपलब्ध करायी गई सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो आप निदेशालय में अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं। पत्र में अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय का पता, दूरभाष संख्या आदि का विवरण भी दिया जायेगा। आवेदक को प्रेषित सूचना का दिनांक व विवरण रजिस्टर में भी अंकित किया जायेगा।

आवेदनकर्त्ता को सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में फीस का ब्यौरा देते हुए उससे उस शुल्क को जमा करने का अनुरोध करते हुए संसूचना भेजी जायेगी। उक्त सूचना प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को निर्दिष्ट 30 दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जायेगा। सामान्यतः आवेदक को यू0पी0सी0 द्वारा सूचना भेजी जायेगी किन्तु यदि आवेदक ने रजिस्ट्री डाक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजने हेतु शुल्क जमा किया है तो तदनुसार रजिस्ट्री डाक/स्पीड पोस्ट से सूचना भेजी जायेगी।

(3) <u>सूचना के लिए निर्धारित शुल्क</u>

(अ) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी के नाम से देय रू 10.00 मात्र का शुल्क उचित रसीद की प्रति, नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंक चैक, भारतीय पोस्टल आर्डर, ट्रेजरी चालान या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा।

(ब) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सूचना की लागत के रूप में बी0पी0एल0 श्रेणी के नागरिकों के अतिरिक्त अन्य नागरिकों द्वारा उक्त विधि से निम्न दरों के अनुरूप अतिरिक्त शुल्क संदाय किया जा सकेगा :–

(एक) A–3 या A–4 आकार के पृष्ठ हेतु रु0 2.00 (दो रूपये मात्र) प्रति पृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठों हेतु वास्तविक लागत।

(दो) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घंटे हेतु कोई शुल्क संदेय नहीं होगा। तदोपरान्त प्रत्येक एक घण्टे अथवा उसके भाग के लिए रू0 5/= मात्र (पांच रूपये मात्र) का शुल्क देय होगा।

(तीन) मॉडल एवं नमूनों की प्रतियों के लिए वास्तविक लागत का भुगतान किया जायेगा।

(चार) सी0डी0/डी0वी0डी0 पर सूचना दिये जाने हेतु रू0 20/= मात्र (बीस रूपये मात्र) प्रति सी0डी0 या डी0वी0डी0।

(पांच) किसी मुद्रित प्रकाशन की दशा में उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्वरणों की फोटो की प्रति पृष्ठ के लिए रू0 2= मात्र (दो रूपये मात्र)।

(स) बी0पी0एल0 श्रेणी के व्यक्तियों के सूचना अनुरोध पर शुल्क हेतु निम्न व्यवस्था होगी :–

(एक) यदि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उसके (बी0पी0एल0 श्रेणी के) स्वंय से या उसके परिवार से सम्बन्धित हो तो वह सूचना निःशुल्क दी जायेगी।

(दो) यदि सूचना बी0पी0एल0 श्रेणी के अनुरोधकर्त्ता या उसके परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति से सम्बन्धित हो और सूचना 50 छाया पृष्ठों (A-4 साइज के) या तैयार करने में रूपये 100/= के व्यय में दी जा सकती है, तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। आवेदित सूचना इस सीमा से अधिक होने पर बी0पी0एल0 श्रेणी के व्यक्ति को स्वंय के खर्चे पर अभिलेखों के निरीक्षण करने, टिप्पणियां लेने या छायाप्रति प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकेगी।

(4) सूचना के लिए अपील की प्रक्रिया :

अधिनियम की धारा 19 के अधीन लोक सूचना अधिकारी के निस्तारण के विरूद्व अपील किये जाने पर अपीलकर्ता को अपील पत्र के साथ अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र के निस्तारण के पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। अपील पत्र में अपील के आधार स्पष्ट रूप से लिखे जायेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो अपीलें प्राप्त होती हैं उसके लिए कार्यालय में एक पंजिका अलग से रखी जायेगी जिसमें समस्त विवरण अंकित करते हुए सीधे अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी जिस पर अपीलीय अधिकारी सुनवाई/विचार हेतु कोई तिथि नियत करेंगे तथा सम्बन्धित अनुभाग/पटल से कोई सूचना/संदर्भ अथवा पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु आदेश करेंगे। अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई/विचारोपरान्त अपील पर निर्णय/आदेश पारित किया जायेगा। अपील के निस्तारण की प्रविष्टि अपीलीय पंजिका में की जायेगी तथा पारित आदेश की प्रति अथवा सूक्ष्म विवरण कार्यालय पत्रावली में सुरक्षित रखा जायेगा।